

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

### —:कार्यालय आदेश:—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा- 2015) विभिन्न विषय, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये संलग्न सूची में अंकित 01 प्राध्यापक को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 ( vi & vii )एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 10 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं नियमानुसार देय अन्य भत्ते आहरण करने व नियमित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 10 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

| क्र. सं. | वर्ग      | चयन वर्ग | पुरानी मैरिट क्रमांक | नई मैरिट क्रमांक | विषय      | प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)           | जन्मतिथि   | कार्यग्रहण तिथि                     | स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि |
|----------|-----------|----------|----------------------|------------------|-----------|--|------------|-------------------------------------|--|
| 1        | 2         | 3        | 4                    | 5                | 6         | 7  | 8          | 9                                   | 10   |
| 1        | GE,WE, WD | GENF     | 174                  | 174              | ECONOMICS | MADHU ASUDANI - GSSS ADARSH NAGAR (218892) JAIPUR EAST, JAIPUR | 02.10.1975 | 12.10.2017 (आईन्ड केयर तीथ के कारण) | 20.11.2020   |

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/स्थाईकरण/पार्ट-11/2018-19

दिनांक:- 30/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. संबंधित प्रधानाचार्य।
4. संबंधित कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
6. सिस्टम एनालिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर